भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/The/36097/2018)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4016/81-2-2023-800(269)/2023 दिनांक जून 2024 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by
Ashish Tiwari
Date: 12-06-2024 12:46:02

( )

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–4016/81-2-2023-800(269)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफसी)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड नई दिल्ली।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक** 12 **जून 2024**

विषय- एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वनभूमि के विना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/The/36097/2018)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-990/11-सी/एफपी/यूपी/The/36097/2018 दिनांक 13.10.2023 एवं पत्र संख्या-1314/11-सी/एफपी/यूपी/The/36097/2018 दिनांक 22.11.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वनभूमि के विना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग के नियमितीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 सपठित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है, विषयगत प्रस्ताव परिवेश पोर्टल 1.0 पर अपलोड है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 सपठित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Ashish Tiwari
Date: 12-06-2024 12:45:31

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट।
4. उप महाप्रबन्धक (मा0सं0) एन0टी0पी0सी0 रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रिहन्दनगर बीजपुर जिला सोनभद्र।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आशीष तिवारी)
सचिव।